न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :- 110/2018 दायर दिनांक: 03.08.2018

GCMS NO:- 2018/00136

पीठासीन अधिकारी :- शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. राजकुमार पुत्र ताराचन्द जाति महाजन निवासी देई तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
2. संजय पुत्र ताराचन्द जाति महाजन निवासी देई तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. सुमित्रा पुत्री जग्गीराम पत्नी रतनलाल जाति जाट निवासी दरियापुर कलागॉव तह0 नरेला जिला नार्थ वेस्ट दिल्ली।
2. जगदीश पुत्र हरजीलाल जाति गुर्जर निवासी रामगंज तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
3. बच्छराज पुत्र हरजीलाल जाति गुर्जर निवासी रामगंज तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
4. सुरेश कुमार पुत्र हरजीलाल जाति गुर्जर निवासी रामगंज तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
5. फूलाबाई पत्नी हरजीलाल जाति गुर्जर निवासी रामगंज तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
6. भूमिधारी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. पंजाब नेशलन बैंक शाखा दबलाना जर्ये शाखा प्रबंधक महोदय, जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53 व 188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

वादीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर।

प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री सजय कुमार।

निर्णय दिनांक 02.09.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई पटवार हल्का देई तहसील नैनवां की वादीगण के संयुक्त आराजी की भूमि खाता संख्या नया 1491 पुराना 371 के खसरा सं. 432/02–11, 433/02–11 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 05–03 बीघा भूमि स्थित है। वाद विभाजन का है। वाद पत्र रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गए। पत्रावली में प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त वाद दिनांक 26.11.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार नैनवॉं को बटवारा पालना रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार नैनवॉं से बंटवारा हेतु पालना रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने मौके पर पहुंचे। जहां प्रतिवादीगण को बार–बार सूचना देने के उपरान्त भी मौके पर उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित पक्षकारों के समक्ष निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया–

क्र0सं0	कारतकार का नाम व हिस्सा	खसरा नम्बर	रकबा(हैक्टेयर)
1.	राजकुमार पुत्र ताराचन्द महाजन हिस्सा 1/2 निवासी देई	432	0.4126
	संजय पुत्र ताराचन्द महाजन हिस्सा 1/2 निवासी देई	433/1	0.1429
		कुल किता 2	कुल रकबा– 0.5555
2.	जगदीश पुत्र हरजीलाल गुर्जर हिस्सा 3/5 निवासी रामगंज फुला बाई पत्नी सुरेश कुमार गुर्जर हिस्सा 23/35 निवासी रामगंज बच्छराज पुत्र हरजीलाल गुर्जर हिस्सा 3/35 निवासी रामगंज सुमित्रा पुत्री जागाराम जाट हिस्सा 3/35 निवासी रामगंज सुरेश कुमार पुत्र हरजीलाल गुर्जर हिस्सा 3/35 निवासी रामगंज	433/2	0.2778
		कुल किता [illegible]	कुल रकबा [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar

Date: 2023.03.20 15:24:54 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वाद अंतिम डिकरी किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम देई पटवार हल्का देई तहसील नैनवा की भूमि खाता संख्या नया 1491 पुराना 371 के खसरा सं. 432/02-11, 433/02-11 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 05-03 बीघा भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

क्र0स0	काश्तकार का नाम व हिस्सा	खसरा नम्बर	रकबा(हैक्टेयर)
1.	राजकुमार पुत्र ताराचन्द महाजन हिस्सा 1/2 निवासी देई	432	0.4126
	संजय पुत्र ताराचन्द महाजन हिस्सा 1/2 निवासी देई	433/1	0.1429
		कुल किता 2	कुल रकबा- 0.5555
2.	जगदीश पुत्र हरजीलाल गुर्जर हिस्सा 3/5 निवासी रामगंज फुला बाई पत्नी सुरेश कुमार गुर्जर हिस्सा 23/35 निवासी रामगंज बच्छराज पुत्र हरजीलाल गुर्जर हिस्सा 3/35 निवासी रामगंज सुमित्रा पुत्री जागीराम जाट हिस्सा 3/35 निवासी रामगंज सुरेश कुमार पुत्र हरजीलाल गुर्जर हिस्सा 3/35 निवासी रामगंज	433/2	0.2778
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.2778

नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें। तहसीलदार नैनवां को डिकरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 16:24:54 IST
Reason: SelfAttested